

मांग संख्या 81

मुख्यशीर्ष 2217

मद क्रमांक 1 से 3

तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत सामान्य मूल अनुदान एवं विशेष क्षेत्र मूल अनुदान मद में राशि ₹ 2105.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 21,05,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 4 से 9

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन भुगतान पर राशि ₹ 1121.00 लाख तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान हेतु राशि ₹ 168.00 लाख सहित कुल ₹ 1289.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 12,89,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।